

लैन्ड शेड्यूल

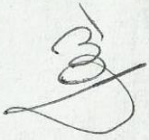
(वन विभाग)

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल-कालाढूगी मोटर मार्ग के किमी 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे०)
नैनीताल	नैनीताल वन प्रभाग-नैनीताल सं. 8	पगोली कट	0.550	9.00	0.495

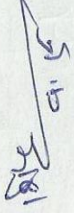
ह०
/-
प्रभागीय वनाधिकारी

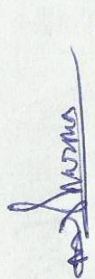

उपडीव


उपडीव

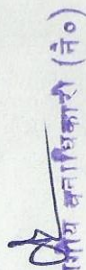

उपडीव

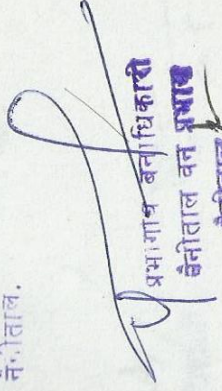

उपडीव


उपडीव


वन सेवाधिकारी

मजोरा वन क्षेत्र
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


उप प्रभागीय वनाधिकारी (नं०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल


प्रभाग वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14-

स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

15-

क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

सहमत

16-

प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

संस्कृति की जाती है,

तिथि.....

स्थान-बैजनाबाद

हस्ताक्षर:
वन संरक्षक,
राज्यीय वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
सरकारी मोहल्ले

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी

जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल-कालाढूगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 5.8.2011 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी.डी.जी. जोशी वनक्षेत्राधिकारी गिरीधर सिंह वन दारोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री सजिद कादर प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री डी.एस.ओबेरा, सहायक अभियन्ता तथा श्री पंकज रॉय अपर सहायक अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.495 हे०, सिविल वन भूमि शून्य हे०। वन पंचायत भूमि शून्य हे० एवं नाप भूमि 25.25 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

समीन

अपर सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०

नैनीताल

प्रा०ख० लो०नि०वि०
सहायक अभियन्ता
अधिकासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०

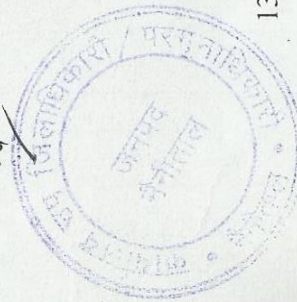
नैनीताल



वहसा लदा
नैनीताल.

प्रा०ख० लो०नि०वि०

एन प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.



मनोरा वन क्षेत्र
वन क्षेत्राधिकारी
मनोरा वन क्षेत्र

नैनीताल
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल.